अपर समाहर्त्ता का न्यायालय,गोड्डा

RMA नं0- 02 / 2000

भूनेश्वर पंडित वगै0

बनाम

रैयान मौजा–लता दिकवानी एवं अन्य

10/06/23

-: आदेश :-

अभिलेखबद्ध कागजातों का सम्यक रूप से अवलोकन किया।

वर्त्तमान वाद आवेदक– भूनेश्वर पंडित, एवं अन्य सभी पिता–त्रिलोकी पंडित, ग्राम–लता दिकवानी, थाना वो अंचल, पोड़ैयाहाट के आवेदन पर मौजा–लता, जमाबंदी नं0–17, 18 के अन्तर्गत रकवा–01-15-13 धूर भूमि भूदान यज्ञ समिति के माध्यम से प्राप्त भूदान की सम्पुष्टि के विरूद्ध विपक्षी रैयान मौजा–लता दिवकानी एवं अन्य शेकचिल्ली मंडल वगै0 थाना व अंचल–पोड़ैयाहाट के विरूद्ध केस प्रारंभ की गयी।

अभिलेख में संल्न कागजातों का सम्यक रूप से अवलोकन के उपरांत पाता हुँ कि विपक्षी के द्वारा कारण पृच्छा दाखिल है। इस वाद में उभय पक्ष लगातार बहुत दिनों से अनुपस्थित है इस कारण कोर्ट द्वारा उभय पक्ष को उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु नोटिश निर्गत किया गया। नोटिश का तामिला अंचल अधिकारी, पोड़ैयाहाट के पत्रांक–52/रा0 दिनांक–12.01.2023 से प्राप्त है। नोटिश प्राप्त होने के बावजूद पक्षकारों को दिनांक– 02.11.2022, 03.12.2022, 07.01.2023, 22.01.2023, 25.02.2023, 18.03.2023, 12.04.2023, 03.05.2023, एवं दिनांक– 17.05.2023 से लगातार अनुपास्थित चले आ रहे है। पक्षकारों को अपना पक्ष रखने हेतु समुचित अवसर प्रदान किया गया परन्तु न्यायालय द्वारा कोर्ट में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु निर्गत नोटिश की अवहेल्ना करते हुए एक भी पक्षकार उपस्थित नही हुए और न ही प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता उपस्थित हुए है। उभय पक्ष द्वारा इस वाद में कोई अभिरूची नही लिया जा रहा है।

अभिलेख में संलग्न कागजातों का सम्यक रूप से अवलोकन के उपरांत पाता हुँ कि आवेदक लगातर बहुत दिनों से अनुपस्थित है। विषयगत वाद में पक्षकारो के द्वारा इस वाद में किसी प्रकार का कोई पक्ष नही रखा गया और नोटिश प्राप्त होने के उपरांत भी न्यायालय द्वारा निर्गत आदेश की अवहेल्ना करते हुए कोर्ट में उपस्थित होना उचित नही समझा अतः विषयगत वाद में पक्षकार के द्वारा कोई अभिरूची नही लिये जाने के कारण वाद की कार्रवाई को समाप्त किया जाता है।

लिखवाया एवं शुद्ध किया।

Digitally signed by SMITA TOPPO
Date: 2023.07.20 12:17:37 +05:30
Location: 192.168.1.3

10.6.2023

अपर समाहर्त्ता,
गोड्डा।

10.6.2023

अपर समाहर्त्ता,
गोड्डा।